न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 26/2020/भीलवाडा (2020/00026)

1. नानूराम पुत्र श्री रायमल जाति गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फूलियाकंला,तहसील फूलियाकंला जिला भीलवाडा

रेस्पोर्डेट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 27.05.2016 प्रकरण संख्या 07/2016

उपस्थितः-

1. श्री हर दयाल वर्मा, अपीलांट अभिभाषक
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांकः-12.03.2020

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- यह कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गलोदिया स्थित आराजी संख्या 1307 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म गै0मु0रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने तथा पेनेल्टी आरोपित करने से व्यथित है । अपीलार्थी के पिता ने अपनी खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी संख्या 249 जिसके नम्बर 1399 व 1400 बने जिसमें अपीलार्थी के पिता ने एक कुंए का निर्माण करवाया जिसके हाल नम्बर 1401 है जो कुंआ वर्तमान में सूख गया जिस कारण से अपीलार्थी के पिता ने तथा अपीलार्थी ने एक नया ट्यूबवैल आराजी संख्या 1400 में खुदवाया जो स्वंय की खातेदारी अधिकार की भूमि पर है जो कतई बिलानाम भूमि पर नहीं है तथा जिसके पानी से अपने खातेदारी आराजियात की पिलाई कर रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने ट्यूबवैल को आराजी संख्या 1307 रास्ते में मानने में भारी भूल की है क्योंकि सेटलमेंट के पहले रास्ता संकरा था तथा सेटलमेंट के बाद रास्ते को अपीलार्थी की आराजी संख्या 1400 के पास घुमाव देकर चौडा कर दिया जिसकी जानकारी होते ही अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर में नक्शा दुरूस्तगी का दावा

कर दिया जिसमें अपीलार्थी अवश्यमेव सफल होगा तथा उपखण्ड न्यायालय ने स्थगन भी अपीलार्थी के पक्ष में कर रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर में चल रही कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश को दिनांक 27.5.2016 को यहां तक संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सहाडा मुकाम गंगापुर के यहां की जा रही कार्यवाही तक अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया जावे । xx

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । xx

4- विद्धान अपीलांट अभिभाषक ने मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्रामीण एंव अनपढ काश्तकार है जिसको कानून की जानकारी नहीं हैं,अपीलाधीन निर्णय के संबंध में अपीलांट को आलोच्य निर्णय एंव आदेश की नकल लेने हेतु आवेदनपत्र 20.06.2016 को प्रस्तुत किया जो नकलें दिनांक 03.08.2016 को जारी की गयी इस कारण निर्णय दिनांक 27.05.2016 की नकलें दिनांक 03.08.2016 को मिलने तक का समय क्षम्य योग्य होने से कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय किये जाने का निवेदन किया ।xx

5- प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया अपीलांट ने विलम्ब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एंव सद्भाविक प्रतीत होते हैं । मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चियन नहीं किया जा सकता अतः हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है । xx

6- मूल अपील पर उभयपक्षीय बहस सुनी अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुराने व नये राजस्व नक्शे में अन्तर होने के कारण अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है जबकि विद्धान उपखण्ड अधिकारी गंगापुर में नक्शे में हुई त्रुटि में सुधार का दावा कर रखा है जिसमें रेकार्ड व मौके पर यथास्थिति का आदेश जारी किया हुआ है अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।xx

7- पैराकार रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस का जबाव देते हुए कथन किया कि ग्राम गलोदिया की बिलानाम आराजी न0 1307 किस्म गै0मु0रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से खोदे गये ट्यूबवैल को हटाये जाने तथा उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मुकाम गंगापुर द्वारा दिनांक 10.12.2015 एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2016 के निणर्य दिनांक 27.05.2016 से दिया जा चुका है उक्त आदेश विधिसम्मत होने तथा अपीलांट द्वारा नये तथा पुराने नक्शों के संबंध में कोई रेकार्ड पेश नहीं किये जाने से यह साबित नहीं होता है कि नये एवं पुराने नक्शे व उसके रकबे में अन्तर है साथ ही जब तक विद्धान उपखण्ड अधिकारी,गंगापुर में लम्बित प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उक्त अपील को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है अतः अपील खारिज फरमाई जावे । xx

8- हमने विद्धान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मनन व गहनता से अवलोकन किया, प्रकरण हाजा में रेस्पोडेंट पैराकार का यह कथन स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा नये तथा पुराने नक्शों के संबंध में कोई रेकार्ड पेश नहीं किये जाने से यह साबित नहीं होता है कि नये एवं पुराने नक्शे व उसके रकबे में अन्तर है तथा यदि नक्शे रेकार्ड में त्रुटि है तो भी सक्षम न्यायालय द्वारा जब तक त्रुटि में सुधार नहीं किया जाता है तब तक अपीलांट अतिक्रमी ही रहेगा अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि सम्मत है । अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस कहा कि त्रुटि सुधार का प्रकरण विद्धान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लम्बित है जिसमें रेकार्ड व मौके की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी हुआ है ऐसी स्थिति में अपील का कोई विधिक औचित्य नहीं होता है इस स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती । **अतः** विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 27.05.2016 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं। xx

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 26/2020 (2020/00026) बउनवानी नानूराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकंला को खारिज किया जाकर विद्धान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2016 बउनवान नानूराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो जाता है ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 12:00:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: